विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवाल

तारांकित प्रश्न संख्या–85
दिनाँक :– 23.03.2018
प्रश्नकर्ता श्री सुरेद्र सिंह
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि बिजली के लोड फेक्टर का निर्धारण बिजली कंपनियों द्वारा घर में लगे प्वाईटस के आधार पर किया जाता है;	जी नही;
ख)	क्या यह भी सत्य है कि बिजली की वास्तविक खपत, सैंक्शन किए गए लोड से कम होने की संभावना रहती है;	बिजली की वास्तविक खपत सैंक्शन किए गए लोड से कम ही रहनी चाहिए। अगर यह उससे ज्यादा जाता है तो सैंक्शन लोड बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 में प्रावधान किए है।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि वास्तविक खपत का इस्तेमाल सैंक्शन किए गए लोड की गणना के लिए किया जा सकता हैं ताकि उपभोक्ता को ऊंची दर पर शुल्क न देना पडे; और	इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है: "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बिलिंग चक्र में, 30 मिनट की लगातार अवधि के दौरान, मीटर द्वारा दर्ज की ज़ाने वाली अधिकतम मांग का उपयोग, उपभोक्ता के स्वीकृत लोड को उच्च तरफ या निचले तरफ, के रूप में देखने के लिए किया जाता है"
घ)	यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?	

(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)

Varsha Joshi
Secretary (Power)